Office of the Principal
GOVERNMET COLLEGE – GURUR
(Formerly Known as Government Naveen College Gurur)
DISTRICT – BALOD (C.G.), INDIA
Ph No : 07749 – 265461 Email : gururgovernmentcollege@gmail.com Website : gcgurur.org.in

Code of Conduct for Students in College Prospectus

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेषभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थूकना दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन, आन्दोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. विद्यार्थी महाविद्यालय के सामग्रियों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास नही करेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपयें जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नही करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

प्रवेश संबंधी नियमावली

1. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धान्त के आधार पर गुणानुक्रम से की जावेगी।
2. प्रवेश -शुल्क जमा करने पर ही वैध माना जावेगा।
3. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थी एवं एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नही दिया जावेगा।
4. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) को छोड़कर अन्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा सेन्ट्रल बोर्ड नयी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियों के लिए सूचना पटल का अवलोकन करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रुप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हे छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी।
7. क्रीड़ा के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था के साथ प्राथमिकता दी जावेगी।
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ-साथ कम से कम 75% प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
9. यदि विद्यार्थी एक संकाय से दुसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांको से 5 % काटकर निर्धारित किया जायेगा।
10. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 % उपस्थिति होगी तथा यह एन.एस.एस /रेडक्रास सोसायटी में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।

3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।

4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापक के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

Principal
Govt. College, Gurur
Dist. - Balod (C.G.)